कार्यालय जिला न्यायाधीश चमोली—गोपेश्वर।

प्रशासनिक आदेश संख्या— 31 /2024

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड की अधिसूचना संख्या— 384/UHC/Admin-A.2/2024 दिनांकित 24.09.2024 तथा उत्तराखंड राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या— E-85343/(1)xxxviA3@2024 दिनांकित 05.07.2024 के अनुसार, चमोली जिले में गठित कुटुम्ब न्यायालय को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 और 8 के तहत दीवानी एवं फौजदारी सभी पारिवारिक वादों की सुनवाई का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रदान किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुपालन में यह निर्देश दिया जाता है जजशिप के अधीनस्थ समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित सभी पारिवारिक वाद, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अंतर्गत दर्ज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली में स्थानांतरित किया जाए। स्थानांतरित वादों की सुनवाई उसी अवस्था से की जाएगी, जिस अवस्था में वे वर्तमान में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तद्नुसार जजशिप के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों को सूचित किया जावे।

दिनांकः— 25.09.2024

25/9/24

जिला न्यायाधीश,
चमोली।